

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4934/

जबलपुर, दिनांक 29/09/2022

श्री अशोक कुमार बाल्मीक, अशर (कोर्ट अटेंडेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 15.07.2022, दिनांक 17.08.2022, दिनांक 22.08.2022 एवं दिनांक 23.08.2022 तक 4 दिन बिना सूचना व आवेदन पत्र के अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अवधि को अवैतनिक किया जाता है।

सही/-


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/4935/

जबलपुर, दिनांक 29/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अशोक कुमार बाल्मीक, अशर (कोर्ट अटेंडेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


28/9/22

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

A